राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल संसाधन, नदी विकास और
गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)

नदियों को आपस में जोड़ने के लिए विशेष समिति की चौदहवीं बैठक का कार्यवृत्त

(17 जनवरी, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित)

नई दिल्ली

दिनांक 17 जनवरी, 2018 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में माननीय मंत्री जल संसाधन,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, श्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में आयोजित नदियों को आपस में जोड़ने के लिए विशेष समिति (आईएलआर) की 14वीं बैठक का कार्यवृत्त

माननीय मंत्री,जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण (जल संसाधन,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय)श्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में नदियों को आपस में जोड़ने के लिए विशेष समिति (आईएलआर) की चौदहवीं बैठक दिनांक 17जनवरी, 2018 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में पूर्वाहन 12:00 बजे आयोजित की गई । श्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ सत्यपाल सिंह, माननीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय राज्य मंत्री; उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई मंत्री श्री धर्म पाल सिंह और तेलंगाना सरकार के सिंचाई मंत्री श्री टी हरीश राव और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न संगठनों के सदस्यों/विशेष आमंत्रितों और प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया। बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों/आमंत्रितों और अन्य प्रतिभागियों की सूची अनुलग्नक-I में दी गई है।

संयुक्त सचिव (आरडी एंड पीपी) और राजविअ के महानिदेशक श्री संजय कुंडू ने माननीय मंत्री जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, अन्य माननीय मंत्रियों और प्रतिभागियों का स्वागत किया और कहा कि अंतर बेसिन जल अंतरण ने अमरीका (कैलिफोर्निया), स्पेन और अन्य देशों के विकास और आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में भी, हमारे जल संसाधनों के ईष्टतम उपयोग और विकास के लिए अंतर बेसिन जल अंतरण आवश्यक है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय) श्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में आईएलआर कार्यक्रम को जल्द ही लागू किया जाएगा। इसके बाद उन्होंने माननीय मंत्री जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय और समिति के अध्यक्ष से अपनी प्रारंभिक टिप्पणी देने का अनुरोध किया।

सबसे पहले, माननीय मंत्री,जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय श्री नितिन गडकरी ने बैठक में विशेष समिति के सभी सदस्यों/ विशेष आमंत्रितों और अन्य प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आईएलआर कार्यक्रम देश की जल और खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जल के कमी /सूखा प्रवण क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य वर्ष 2022 तक कृषि उत्पादन को बढ़ाना और किसानों की आय को दोगुना करना है। सूक्ष्म सिंचाई, आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग और प्रभावी जल प्रबंधन इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने उल्लेख किया कि कृषि उप-उत्पादों का उपयोग जैव-ईंधन के उत्पादन के लिए किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि आईएलआर परियोजनाओं में परिकल्पना की गई है कि हिमालयी नदियों में उपलब्ध अधिशेष जल को प्रायद्वीपीय भारत के जल कमी /सूखा प्रभावित क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। तथापि, कुछ प्रायद्वीपीय नदियों का , भारी मात्रा में जल अप्रयुक्त रूप से समुद्र में चला जाता है, जिसे प्रायद्वीपीय भारत के अन्य जल कमी वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित करने के लिए गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने संकेत दिया कि गोदावरी नदी का जल प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में अप्रयुक्त रूप से समुद्र में बह जाता है जिसे कृष्णा, पेन्नार और कावेरी नदी बेसिन की ओर मोड़ा जा सकता है और दक्षिणी राज्यों के सूखा प्रवण क्षेत्रों की जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दक्षिण में भेजा जा सकता है। उन्होंने विभिन्न राज्यों के माननीय मंत्रियों से अनुरोध किया कि वे सभी मांगों को पूरा करने के बाद उन नदी बेसिनों की पहचान करें जो अपने राज्यों में जल की उपलब्धता में अधिशेष हैं और उन्हें जल की कमी वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जा सकता है ताकि उन क्षेत्रों में सूखे को कम किया जा सके, कृषि उत्पादन में वृद्धि की जा सके, जिसके परिणामस्वरूप समाज की सामाजिक-आर्थिक विकास हो सके। उन्होंने संबंधित राज्यों के बीच आम सहमति विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि समुद्र में बह जाने वाले अप्रयुक्त जल का इस्तेमाल जरूरतमंद क्षेत्रों के लिए किया जा सके। नदियों को आपस में जोड़ने के लिए कार्यान्वयन तंत्र को प्रभावित लोगों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) को उचित रूप से शामिल करके मजबूत बनाया जाना है। उन्होंने आईएलआर कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए बेहतर वित्तीय मॉडल विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय अभिकरणों से कम ब्याज पर निधियाँ लेना , और सचिव-जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय को विदेशी वित्त पोषण सहित मजबूत वित्तीय मॉडल विकसित करने का कार्य सौंपा।

माननीय मंत्री ने कहा कि उन्होंनेकेन-बेतवा लिंक (केबीएलपी), पार-तापी-नर्मदा लिंक (पीटीएनएलपी) और दमनगंगा-पिंजाल लिंक परियोजनाओं (डीपीएलपी) की स्थिति की समीक्षा करने के लिए मंत्रालय में 16 जनवरी, 2018 को एक बैठक की। बैठक के दौरान संबंधित राज्यों के अधिकारी उपस्थित थे। केबीएलपी के संबंध में, माननीय मंत्री जी ने संकेत दिया कि सभी स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि केबीएलपी के मख्य घटकों का कार्यान्वयन भारत सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए स्थापित किए जाने वाले विशेष उद्देश्य वाहन के माध्यम से किया जाएगा। माननीय मंत्री ने महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्यों की राज्य सरकारों से पीटीएनएलपी और डीपीएलपी के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी सहमति देने और केबीएलपी के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों से अनुरोध किया।

माननीय मंत्री जी ने चाहा कि प्राथमिकता प्राप्त लिंक परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए बार चार्ट तैयार किए जाएं और एक परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता की पहचान की जाए। उन्होंने राज्य सरकारों से अनुरोध किया कि वे परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए बाहरी वित्तपोषण की संभावना का पता लगाएं ताकि परियोजना को कार्यान्वयन के लिए शुरू किया जा सके और आगे के समय और लागत में वृद्धि से बचा जा सके।

तत्पश्चात्, माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय) ने महानिदेशक राजविअ से बैठक की कार्यसूची पर चर्चा करने के लिए अनुरोध किया। महानिदेशक ,राजविअ ने माननीय मंत्री जी द्वारा अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में उल्लिखित विभिन्न बिन्दुओं को संक्षेप में प्रस्तुत किया और उन पर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उन्होंने मुख्य अभियंता (मुख्यालय),राजविअ के श्री आरके जैन से कार्यसूची के विषयों पर विचार-विमर्श करने को कहा।

मद संख्या 14.1: दिनांक 27 जुलाई, 2017 को नई दिल्ली में आयोजित "नदियों को आपस में जोड़ने के लिए विशेष समिति" की 13 वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

मुख्य अभियंता (मुख्यालय) ,राजविअ ने बताया कि 27 जुलाई, 2017 को नई दिल्ली में आयोजित नदियों को आपस में जोड़ने के लिए विशेष समिति (एससीआईएलआर) की 13 वीं बैठक के कार्यवृत्त को 28 अगस्त, 2017 के पत्र के द्वारा सभी सदस्यों को परिचालित किया गया था। किसी भी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई थी। केरल सरकार के प्रतिनिधि ने उल्लेख किया कि उन्होंने अपनी टिप्पणियां भेजी हैं जिनमें अंत:राज्यीय मुद्दों सहित विभिन्न मुद्दों को शामिल किया गया है, जिस पर राजविअ ने कहा कि उनसे ऐसी कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। केरल के प्रतिनिधि ने आश्वासन दिया कि इसे फिर से राजविअ को भेजा जाएगा। माननीय मंत्री जी ने अंत:राज्यीय विवादों को हल करने के लिए तमिलनाडु और केरल के साथ अंत:राज्यीय बैठक आयोजित करने का सुझाव दिया। अंत में परिचालित 13$^{वीं}$ बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई थी।

मद संख्या 14.2: पिछली बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई

मद संख्या 14.2.1: आईएलआर के लिए टास्क फोर्स के अंतर्गत गठित विधि समूह की रिपोर्ट

मुख्य अभियंता (मुख्यालय),राजविअ ने बताया कि केन्द्रीय जल आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री एडी मोहिले की अध्यक्षता में आईएलआर पर कार्यबल द्वारा विधिक पहलुओं पर एक समूह का गठन किया गया था। समूह ने अपना सौंपा गया कार्य पूरा कर लिया और 23.05.2017 को आईएलआर पर टास्क फोर्स के अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कार्यबल की बैठक में रिपोर्ट पर चर्चा की गई और इसके निर्णय के अनुसार राजविअ ने समूह की सिफारिशों पर एक प्रसिद्ध विधि विशेषज्ञ प्रो. माधव मेनन से राय प्राप्त की। आईएलआर पर कार्यबल द्वारा 15 सितंबर, 2017 को आयोजित अपनी 8 $^{वीं}$बैठक में प्रोफेसर मेनन के विचारों पर चर्चा की गई

थी। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद कार्यबल द्वारा यह निर्णय लिया गया कि आईएलआर कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में एक श्वेत पत्र/स्थिति पत्र राजविअ द्वारा कार्यबल के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। तदनुसार, उक्त श्वेत पत्र/स्थिति पत्र राजविअ द्वारा तैयार किया जा रहा है और विचारार्थ आईएलआर के लिए टास्क फोर्स के समक्ष रखा जाएगा।

मद संख्या 14.3: केन-बेतवा लिंक परियोजना चरण-I - विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों की स्थिति

यह सूचित किया गया था कि माननीय उच्चतम न्यायालय की केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति को छोड़कर केन-बेतवा लिंक परियोजना की सांविधिक और अन्य स्वीकृतियां राजविअ द्वारा प्राप्त कर ली गई हैं। इस परियोजना पर माननीय केंद्रीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय) द्वारा 16.01.2018 को ली गई बैठक में चर्चा की गई थी। जैसा कि निर्णय लिया गया है, परियोजना को चरण I और II को एक साथ कार्यान्वित किया जाएगा। माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय) ने सूचित किया कि केन-बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर जल्द ही हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है । उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय सिंचाई मंत्री ने 25 वर्षों से लंबित केन बेतवा लिंक परियोजना में तेजी लाने के लिए माननीय केन्द्रीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय) को बधाई दी है जिसका उद्देश्य सूखे की स्थिति को समाप्त करना और बुंदेलखंड क्षेत्र में समृद्धि लाना है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व में विलुप्त हो चुकी नदियों को जीवंत बनाने के लिए उनके पुनरूद्धार के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार किसानों को सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए 80 प्रतिशत सहायता प्रदान कर रही है। माननीय केन्द्रीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय) ने इच्छा व्यक्त की कि मध्य प्रदेश में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की सफलता की कहानी को एक सीडी में रखा जाना चाहिए और सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए अन्य राज्यों के बीच परिचालित किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी चाहा कि विभिन्न राज्यों में अपनाई जा रही सिंचाई के लिए सर्वोत्तम पद्धतियों के साथ-साथ सफलता की कहानियों को मंत्रालय की वेबसाइट पर डाला जाना चाहिए।

मद संख्या 14.4: केन-बेतवा लिंक परियोजना चरण II - विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की वर्तमान स्थिति

यह सूचित किया गया था कि केन-बेतवा लिंक परियोजना चरण-II की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जनवरी, 2014 में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों को भेजी गई थी। केबीएलपी चरण-II की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जिसमें अब निचला ओरर, कोठा बैराज और बीना कॉम्प्लेक्स शामिल हैं, का केन्द्रीय जल आयोग तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन कर रहा है। इसके

अलावा, केन कमान में बचे हुए क्षेत्रों के लिए लेखांकन के बाद, मध्य प्रदेश में 4.47 लाख हेक्टेयर के कुल सीसीए को सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों का उपयोग करके कमान क्षेत्र में शामिल किया जाएगा।

मद संख्या 14.5: दमनगंगा-पिंजाल और पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजनाएं - विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की वर्तमान स्थिति

मुख्य अभियंता (मुख्यालय), राजविअ ने बताया कि दमनगंगा-पिंजाल लिंक परियोजना और पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना की विभिन्न मंजूरियों की वर्तमान स्थिति एजेंडा नोट्स में दी गई है। उन्होंने कहा कि माननीय मंत्री ने 16जनवरी, 2018 को नई दिल्ली में एक बैठक की और पार-तापी-नर्मदा लिंक (पीटीएनएलपी) और दमनगंगा-पिंजाल लिंक परियोजनाओं (डीपीएलपी) की स्थिति की समीक्षा की। बैठक के दौरान महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्यों की सरकारों के अधिकारी मौजूद थे। गुजरात सरकार से अनुरोध किया गया था कि वह पीटीएनएलपी के माध्यम से गुजरात राज्य में उपयोग के लिए पथांतरणकरने के लिए विचार किए गए महाराष्ट्र जलग्रहण क्षेत्र से प्राप्त जल के स्थान पर तापी बेसिन में महाराष्ट्र राज्य को क्षतिपूर्ति करने के संबंध में अपने विचार दे। पीटीएनएलपी और डीपीएलपी के कार्यान्वयन में तेजी लाने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया था कि राजविअ पीटीएनएलपी और डीपीएलपी दोनों के संबंध में विभिन्न स्वीकृतियां प्राप्त करने पर काम करेगा। माननीय मंत्री जी ने महाराष्ट्र और गुजरात दोनों की राज्य सरकारों से पीटीएनएलपी और डीपीएलपी के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त करने का अनुरोध किया। माननीय मंत्री जी ने राजविअ अधिकारियों को सलाह दी कि वे गुजरात और महाराष्ट्र दोनों राज्यों के संबंधित प्राधिकारियों का दौरा करें ताकि अवशिष्ट मुद्दों, यदि कोई हो, को हल किया जा सके और इन दोनों परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की तारीख तय की जा सके।

समिति के सदस्यों ने उपर्युक्त जानकारी नोट की।

मद संख्या 14.6: नदियों को आपस में जोड़ने के लिए नदी बेसिन में अधिशेष जल

यह सूचित किया गया कि विशेष समिति द्वारा अपनी 8वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, आईएलआर पर कार्यबल ने अपनी विभिन्न बैठकों में नदी बेसिन में जल संतुलन अध्ययन करने के लिए अतिरिक्त जल के मुद्दे और राजविअ के दिशानिर्देशों पर विचार-विमर्श किया। इन बैठकों में विभिन्न राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को भी उनके विचार प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया गया था। विभिन्न राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के विचारों पर विचार करने के बाद नदी बेसिन में जल संतुलन अध्ययन करने के लिए दिशा-निर्देशों को

संशोधित किया गया था। इन संशोधित दिशानिर्देशों को टास्क फोर्स द्वारा 15.09.2017 को आयोजित अपनी आठवीं बैठक में अनुमोदित किया गया था और इसकी एक प्रति एजेंडा के साथ रखी गई थी। केरल और तमिलनाडु के प्रतिनिधियों ने उल्लेख किया कि उन्होंने अपनी टिप्पणियों की पेशकश की थी, लेकिन उनके विचारों पर विचार नहीं किया गया था। यह स्पष्ट किया गया था कि केरल और तमिलनाडु सहित सभी राज्यों के विचारों/टिप्पणियों/सुझावों पर कार्यबल द्वारा विधिवत रूप से विचार किया गया था। माननीय केन्द्रीय मंत्री और एससीआईएलआर के अध्यक्ष ने आईएलआर पर कार्यबल की अगली बैठक में दोनों राज्यों को आमंत्रित करने और उनके विचारों पर विचार करने और उनके संदेहों, यदि कोई हों, को दूर करने की सलाह दी।

मद संख्या 14.7: अंत:राज्यीय लिंक प्रस्तावों की स्थिति

मुख्य अभियंता (मुख्यालय), राजविअ ने विशेष समिति को कार्यसूची नोट्स में दिए गए अंत:राज्यीयलिंकों के अध्ययन की विस्तृत स्थिति के बारे में सूचित किया। तमिलनाडु के प्रतिनिधि ने इसे अंतिम रूप दिए जाने के बाद पोन्नैयार-पलार अंत:राज्यीयलिंक की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान करने का अनुरोध किया।

कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधि ने उल्लेख किया कि कर्नाटक राज्य ने मानसून के मौसम के दौरान नेत्रावती नदी की सहायक नदियों के अधिशेष प्रवाह का उपयोग करके सूखा प्रवण जिलों की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यत्तिनहोल यत्तिनहोल परियोजना शुरू की है। प्रस्तावित नेत्रावती-हेमवती लिंक के अंतर्गत जलग्रहण क्षेत्र यत्तिनहोल परियोजना के जलग्रहण क्षेत्र में आता है। इसके अतिरिक्त, इन परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में विचार करने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने राजविअ से कर्नाटक के अधनाशिनी -वरदा अंतरराज्यीय लिंक की पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने का अनुरोध किया।

झारखंड के प्रतिनिधि ने उनके द्वारा प्रस्तावित 3 अंत:राज्यीयलिंकों का उल्लेख किया। मुख्य अभियंता (मुख्यालय),राजविअ ने सूचित किया कि 3 लिंकों की पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्टें अर्थात् बराकर-दामोदर-सुवर्णरेखा, सांख-दक्षिण कोयल और दक्षिण कोइल सुवर्णरेखा लिंक तैयार हैं। इन सभी लिंकों के अंत:राज्यीय निहितार्थ हैं और इसलिए, अपनी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट शुरू करने से पहले, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के सह-बेसिन राज्यों की आम सहमति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, बराकर-दामोदर-सुवर्णरेखा लिंक परियोजना के मामले में प्रस्तावित बराकर बांध पर अपस्ट्रीम उपयोगों में वृद्धि हुई है और लिंक के माध्यम से अंतरण के लिए अधिशेष जल उपलब्ध नहीं है। सांख-दक्षिण कोयल और दक्षिण कोयल-सुवर्णरेखा लिंकों के मामले में राजविअ एनआईएच रुड़की के माध्यम से प्रस्तावित बारटोली और पडियार बैराजों पर सिमुलेशन अध्ययन कर रहा है। सचिव (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण

मंत्रालय) ने झारखंड राज्य की समग्र सिंचाई क्षमता बढ़ाने के हित में इन विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को शुरू करने के लिए सभी बाधाओं को हल करने की इच्छा व्यक्त की।

माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय) ने इच्छा व्यक्त की कि राजविअ अधिकारियों को उनके मुद्दों को हल करने के लिए रांची में झारखंड राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श करना चाहिए।

माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय) ने राजविअ को निर्देश दिया कि वह अंत:राज्यीय लिंक परियोजनाओं को प्राथमिकता-I और II के रूप में प्राथमिकता देकर उनकी विश्वसनीय विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के आधार पर उनकी एक प्रोफ़ाइल तैयार करे।

मद संख्या 14.8: राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण का पुनर्गठन

यह सूचित किया गया कि राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के पुनर्गठन के लिए उप-समिति की रिपोर्ट सितंबर, 2015 में जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय को प्रस्तुत की गई थी, जिसे 30 मई, 2016 को माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय) के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तुति के बाद, माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय) ने निर्देश दिया कि राजविअ के पुनर्गठनकी मामले को जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा तेज किया जा सकता है। राजविअ के पुनर्गठन पर 8 दिसंबर, 2016 को सचिव (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय) को एक प्रस्तुति भी दी गई थी, जिसके दौरान राजविअ को सलाह दी गई थी कि वह जनशक्ति की आवश्यकता की समीक्षा करे, यह देखते हुए कि कुछ कार्यों / गतिविधियों को बाहर से किया जा सकता है। राजविअ ने दिनांक 17.5.2017 को अतिरिक्त कर्मचारियों की संशोधित आवश्यकता प्रस्तुत की है। मंत्रालय ने दिसंबर, 2017 में सूचित किया था कि आईएलआर के लिए समग्र पुनर्गठन योजना के साथ राजविअ का पुनर्गठन किया जाएगा। राजविअ द्वारा किए जा रहे कार्यान्वयन और अन्य कार्यों के लिए शुरू की जाने वाली प्राथमिकता प्राप्त आईएलआर परियोजनाओं अर्थात केबीएलपी, पीटीएनएलपी और डीपीएलपी के महत्व को ध्यान में रखते हुए, माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय) ने सलाह दी कि सचिव (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय) राजविअ के तत्काल पुनर्गठन पर पुनर्विचार कर सकते हैं।

मद संख्या 14.9: टीएफआईएलआर के अंतर्गत वित्तीय पहलुओं पर समूह का गठन

मुख्य अभियंता (मुख्यालय),राजविअ ने बताया कि आईएलआर के लिए कार्यबल की सिफारिश पर, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय ने भारत सरकार के पूर्व सचिव और कार्यबल के सदस्य डॉ प्रोदिप्तो घोष की अध्यक्षता में नदियों को आपस में जोड़ने

के लिए टास्क फोर्स के अंतर्गत वित्तीय पहलुओं पर एक समूह का गठन किया, जो राजविअ द्वारा पहचाने गए विभिन्न अंतर-बेसिन जल अंतरण लिंकों के वित्तीय पहलुओं की जांच करेगा और इसके कार्यान्वयन के लिए वित्तपोषण पैटर्न का सुझाव देगा। इस ग्रुप की अब तक चार बैठकें हो चुकी हैं। इन बैठकों के दौरान, समूह ने आगे बढ़ने के तरीके, कुल आईएलआर कार्यक्रम की लागत का पता लगाने की प्रक्रिया/विधि और वित्तपोषण के विभिन्न विकल्पों के रूप में तौर-तरीकों पर चर्चा की।

माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय) ने इच्छा व्यक्त की कि राजविअ को आगे के मार्गदर्शन के लिए समूह के अध्यक्ष/सदस्यों के साथ एक बैठक बुलानी चाहिए। इस बैठक में वह देश के प्रमुख बैंकरों और अंतरराष्ट्रीय अभिकरणों को आमंत्रित करना चाहेंगें।

मद संख्या 14.10: नदियों को जोड़ने (आईएलआर) की परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में विचार किया जाना

मुख्य अभियंता (मुख्यालय) राजविअ ने बताया कि आईएलआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए, यह आवश्यक है कि इन परियोजनाओं की निधियों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उचित वित्तपोषण पैटर्न प्रदान किया जाए। केबीएलपी को 2009 में 90% (केंद्र): 10% (राज्य) फंडिंग पैटर्न के साथ राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित किया गया था। अन्य आईएलआर परियोजनाओं को भी राष्ट्रीय परियोजनाओं की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय) ने आईएलआर परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए नवोन्मेषी तरीकों की खोज करने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि परियोजना को निर्धारित समय पर पूरा करने के लिए निधियों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

सचिव (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय) ने सूचित किया कि राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए वर्तमान वित्तपोषण पैटर्न 60% (केंद्र) : 40% (राज्य) है।

तमिलनाडु सरकार के प्रतिनिधि ने उल्लेख किया कि प्रायद्वीपीय घटकों के अंतर्गत स्कीमों को राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं घोषित किया जाना चाहिए क्योंकि इससे उन्हें परियोजनाओं के लिए मंजूरी प्राप्त करने/वित्तपोषण प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आईएलआर परियोजनाएं राष्ट्र को भारी लाभ प्रदान करेंगी, आईएलआर पर विशेष समिति ने सिफारिश की कि आईएलआर परियोजनाओं को 90% (केंद्र) : 10% (राज्य) फंडिंग पैटर्न के साथ राष्ट्रीय परियोजनाओं की सूची में शामिल किया जाए।

मद सं 14.11 कावेरी बेसिन तक गोदावरी जल के पथांतरण का वैकल्पिक प्रस्ताव (चरण-I)

मुख्य अभियंता (मुख्यालय) राजविअ ने सूचित किया कि चूंकि प्रस्तावित इन्चमपल्ली बांध को मूर्त रूप नहीं दिया जा सका है, इसलिए आईएलआर के दक्षिणी लिंकेज को तेजी से ट्रैक करने के लिए, अबजल को गोदावरी नदी पर इंचमपल्ली के नीचे की ओर प्रस्तावित अकीनेपल्ली बैराज से उठाने और कृष्णा बेसिन में मौजूदा नागार्जुनसागर जलाशय में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है। नागार्जुनसागर जलाशय से, पानी को पेन्नार बेसिन में सोमासिला जलाशय और कावेरी बेसिन में ग्रैंड एनीकट में स्थानांतरित किया जाएगा। इस प्रस्ताव के जरिए करीब 7000 एमसीएम पानी अंतरण किया जा सकता है। तकनीकी व्यवहार्यता नोट संबंधित राज्य सरकारों को उनकी सहमति के लिए परिचालित कर दिया गया है। आम सहमति बनने के बाद फेज-1 की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम शुरू किया जाएगा।

माननीय केन्द्रीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय) ने इच्छा व्यक्त की कि ओडिशा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु को शामिल करते हुए 6 सदस्य राज्यों की एक बैठक आयोजित की जानी चाहिए जिसमें राजविअ को प्रस्तावित पथांतरण पर एक प्रस्तुति देनी चाहिए और राज्यों की सहमति लेनी चाहिए।

तेलंगाना सरकार के सिंचाई मंत्री श्री टी हरीश राव ने उल्लेख किया कि उनका राज्य इस प्रस्ताव का पूरी तरह से समर्थन करता है बशर्ते कि जल विज्ञानी अध्ययन इस तरह के पथांतरण की अनुमति दें। तथापि, उनके राज्य ने डाउनस्ट्रीम में कुछ परियोजनाओं की योजना बनाई है और उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और यह आशंका है कि राज्य के बढ़े हुए क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सबसे पहले क्षेत्र के जल विज्ञान को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। प्रस्तावित लिंक से परियोजनाओं के डाउनस्ट्रीम पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने आशंका व्यक्त की कि कर्नाटक में अल्मट्टी बांध (अपर कृष्णा परियोजना) को केडब्ल्यूडीटी-II द्वारा 100 टीएमसी जल के आवंटन से इसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी और तेलंगाना को भी इसकी डाउनस्ट्रीम परियोजनाओं के लिए अपेक्षित मात्रा में पानी नहीं मिलेगा। उन्होंने कालेश्वर परियोजना का भी उल्लेख किया, जिसके जल विज्ञान को केन्द्रीय जल आयोग द्वारा 40 साल की श्रृंखला के आंकड़ों के आधार पर मंजूरी दी गई थी, यदि उसी श्रृंखला को अकीनापल्ली बैराज के माध्यम से मोड़ने के लिए विचार किया गया था, तो उन्हें डायवर्सन के लिए पानी की मात्रा पर संदेह था।

तमिलनाडु के प्रतिनिधि चाहते थे कि लिंक के माध्यम से बड़ी मात्रा में पानी स्थानांतरित किया जाए क्योंकि उन्हें ग्रैंड एनीकट में लगभग 125 टीएमसी पानी की आवश्यकता होती है। कर्नाटक के प्रतिनिधि भी चाहते थे कि लिंक के माध्यम से पानी की विपथित मात्रा में उनके हिस्से पर विचार किया जाए।

मद संख्या 14.12: अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य मद

महानिदेशक,राजविअ ने विभिन्न सदस्यों द्वारा प्रदान किए गए मूल्यवान सुझावों और विचारों की सराहना की। उन्होंने बैठक में शामिल सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद दिया।
बैठक का समापन अध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

अनुलग्नक-I

दिनांक 17.01.2018 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित "नदियों को आपस में जोड़ने के लिए विशेष समिति" की 14 वीं बैठक के सदस्यों, विशेष आमंत्रितों और प्रतिभागियों की सूची।

1.	श्री नितिन जयराम गडकरी, माननीय केंद्रीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय), भारत सरकार, और अध्यक्ष, आईएलआर के लिए विशेष समिति, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	श्री अर्जुन राम मेघवाल, माननीय राज्य मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय), भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य
3.	डॉ सत्यपाल सिंह, माननीय राज्य मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय), भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य
4.	श्री धर्म पाल सिंह, माननीय मंत्री (सिंचाई), उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ	सदस्य
5.	श्री टी हरीश राव, माननीय मंत्री (सिंचाई), तेलंगाना सरकार, हैदराबाद	सदस्य

6.	श्री यू पी सिंह, सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य
7.	श्री एस मसूद हुसैन, अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली	सदस्य
8.	श्री आर.एस. प्रसाद पूर्व अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली	सदस्य
9.	प्रो महाराज के पंडित डीन, विज्ञान संकाय दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	सदस्य
10.	श्री श्रीराम विदेरे सामाजिक कार्यकर्ता और सलाहकार, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य
11.	श्री एस के जोशी विशेष मुख्य सचिव (आई एवं सीएडी), तेलंगाना सरकार, हैदराबाद	सदस्य
12.	श्री टॉम जोस, अतिरिक्त मुख्य सचिव, (जल संसाधन विभाग), केरल सरकार, तिरुवनंतपुरम	सदस्य

13.	श्री एस के प्रबाकर प्रधान सचिव, लोक निर्माण विभाग, तमिलनाडु सरकार, चेन्नई	सदस्य
14.	श्री गुरुपदस्वामी बी.जी. सचिव, जल संसाधन विभाग, कर्नाटक सरकार, बेंगलुरु	सदस्य
15.	श्री आर वी पानसे सचिव, जल संसाधन विभाग, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई	सदस्य
16.	श्री विशाल गगन विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, ओडिशा सरकार, भुवनेश्वर	मुख्य सचिव, ओडिशा सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए
17.	श्री रवि कोटा, प्रधान निवासी आयुक्त, असम सरकार, नई दिल्ली	मुख्य सचिव, असम सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए
18.	श्री राजीव कुमार सुकालिकर, मुख्य अभियंता,(जल संसाधन विभाग), मध्यप्रदेश सरकार, भोपाल	प्रधानसचिव,मध्य प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए
19.	श्री के बी रबाडिया मुख्य अभियंता (एसजी) और अपर सचिव (जल संसाधन विभाग), गुजरात सरकार, गांधी नगर	सचिव,जल संसाधन विभाग, गुजरात सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए

20.	श्री बी बंदोपाध्याय, सलाहकार, (लागत), व्यय विभागवित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	मुख्य सलाहकार (लागत) का प्रतिनिधित्व करते हुए, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय
21.	श्री एम आर डूडी, मुख्य अभियंता (सिंचाई) और अपर सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर	प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए
22.	श्री डी राम कृष्ण वरिष्ठ तकनीकी सलाहकार (आईएसडब्लूआर), आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद	प्रधान सचिव (आई एवं सीएडी) का प्रतिनिधित्व करते हुए,आंध्र प्रदेश सरकार
23.	श्री वाई. के. शर्मा, मुख्य अभियंता, दिल्ली जल बोर्ड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, नई दिल्ली	प्रधान सचिव (शहरी विकास), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए
24.	डॉ एस केरकेट्टा निर्देशक पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली	सचिव ,पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए
25.	श्री परवीन बिरदी, निदेशक (जल सेल), जल संसाधन विभाग, पंजाब सरकार	मुख्य सचिव, पंजाब सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए
26.	श्री एच के कटियार कार्यपालक अभियंता, सिंचाई विभाग, उत्तराखंड सरकार, देहरादून	सचिव,सिंचाई विभाग, उत्तराखंड सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए

27.	श्री डी के सिन्हा कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखंड सरकार, रांची	प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए
28.	श्री मनोज कुमार कार्यपालक अभियंता, आईडब्लूआरडी, हरियाणा सरकार, नई दिल्ली	अपर मुख्य सचिव, सिंचाई विभाग, हरियाणा सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए
29.	श्री संजय कुंडू, संयुक्त सचिव (आरडी एंड पीपी) और महानिदेशक, राजविअ, नई दिल्ली	सदस्य-सचिव

विशेष आमंत्रित

30. डॉ पी बी एस शर्मा,
(सेवानिवृत्त), सीईडी, आईआईटी दिल्ली और एससीआईएलआर, नई दिल्ली की उप-समिति-II के अध्यक्ष

31. श्री एडी मोहिले
पूर्व अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग
और सदस्य, आईएलआर पर टास्क फोर्स

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों के अधिकारी

32. श्री अखिल कुमार,
संयुक्त सचिव (प्रशा.),
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय,
नई दिल्ली

33. श्री जगमोहन गुप्ता,
संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली

34. श्री सुधीर दिव,
ओएसडी , (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा
संरक्षण मंत्रालय),
भारत सरकार, नई दिल्ली

35. श्री आर एन दीक्षित,
माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा
संरक्षण मंत्रालय), के अपर सचिव भारत सरकार,
नई दिल्ली

36. श्रीमती नीता प्रसाद,
एडीजी, प्रेस सूचना ब्यूरो,
नई दिल्ली

37. श्री वीरेन्द्र शर्मा,
वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (बीएम),
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय,
नई दिल्ली

38. श्री समीर सिन्हा,
प्रवक्ता, जल संसाधन, नदी विकास एवं
गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली

राज्य सरकारों के अधिकारी

39. श्री आर सुब्रमण्यम,
अध्यक्ष, कावेरी तकनीकी नहर, जल संसाधन
विभाग, तमिलनाडु सरकार, चेन्नई

40. श्री जिया राम,
माननीय सिंचाई मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ
के प्रधान सचिव

41. श्री बीके नागरवा राव,
मुख्य अभियंता (आई एस एवं डब्लूआर),
आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद

42. श्री टी.वी.एन.ए.आर. कुमार,
मुख्य अभियंता (जल विज्ञान),
जल संसाधन विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद

43. डॉ संजय बेसरे,
मुख्य अभियंता और संयुक्त सचिव,
जल संसाधन विभाग, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई

44. श्री श्रीरामैया,
प्रधान तकनीकी सलाहकार,
जल संसाधन विभाग, कर्नाटक सरकार, बेंगलुरु

45. श्री एस नरसिम्हा राव
मुख्य अभियंता (आई एस एवं डब्लू आर),
तेलंगाना सरकार, हैदराबाद

46. श्री रवि सोलंकी,
अपर मुख्य अभियंता , जल संसाधन विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर

47. श्री विनोद के देवाड़ा,
अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग,
मध्यप्रदेश सरकार, भोपाल

राजविअके अधिकारी

48. श्री आर.के जैन,
मुख्य अभियंता (मुख्यालय),
नई दिल्ली

49. श्री एम.के श्रीनिवास,
मुख्य अभियंता (दक्षिण),
हैदराबाद

50. श्री के पी गुप्ता,
निदेशक (तक),
नई दिल्ली

51. श्री मुजफ्फर अहमद,
अधीक्षण अभियंता,
नई दिल्ली

52. श्री अफरोज आलम,
अधीक्षण अभियंता,
नई दिल्ली

53. श्री आर के खरबंदा,
उप निदेशक,
नई दिल्ली

54. श्री ए एस नायक,
अधिशासी अभियंता,
राजविअ, भोपाल

55. श्री आर के गुप्ता,
कार्यकारी अभियंता,
नई दिल्ली

56. श्री अनिल कुमार जैन,
उप निदेशक,नई दिल्ली

57. श्री के.के राव,
उप निदेशक,
नई दिल्ली

58. श्री एम.के सिन्हा,
वरिष्ठ सलाहकार
नई दिल्ली

59. श्री निजाम अली,
सलाहकार
नई दिल्ली

60. श्री आर के अग्रवाल
सलाहकार
नई दिल्ली

61. श्री एस एल जैन,
सलाहकार
नई दिल्ली